डिजीटल पत्र

दैनिक

कांग्रेस दर्पण

पटना, 23 जुलाई, मंगलवार, 2024

बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल सदाकत आश्रम पटना - 10

लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हुआ हंगामा

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर खूब घेरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा है। यह बेहद चिंता का विषय है। भारत की परीक्षा प्रणाली बकवास है। विपक्ष के नेता के इस बयान की केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निंदा की। उन्होंने शिक्षा सुधार के लिए 2010 में कांग्रेस सरकार की ओर से लाए गए बिल को लेकर पलटवार किया। सदन में नीट के मुद्दे को उठाते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत की परीक्षा प्रणाली धोखे से भरी है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है, तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीट पेपर लीक होना सिस्टम की चूक थी तो उसे सुधारने के लिए क्या किया गया? मंत्री खुद को छोड़कर सबको दोषी ठहरा रहे हैं। लाखों छात्रों परेशान हैं कि देश में क्या चल रहा है।

इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं देश की परीक्षा प्रणाली को बकवास कहने की निंदा करता हूं। जिन्होंने रिमोट से सरकार चलाई है। 2010 में कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार को लेकर तीन बिल लाए थे। जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुचित प्रथाओं जैसे कैपिटेशन शुल्क की मांग करना, योग्यता बिना छात्रों को प्रवेश देना, शुल्क की रसीद जारी न करना, छात्रों को गुमराह करने से रोकना शामिल था। तो किसके दबाव में कांग्रेस सरकार और नेता विपक्ष ने बिल लागू नहीं होने दिया और हमसे प्रश्न पूछते हैं। हमारी सरकार परीक्षा प्रणाली को बेहतर करने और निजी संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुधार के काम हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य :डॉक्टर चंद्रिका

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

जाने माने शिक्षाविद् एवं बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमिटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने कांवरियों के रास्ते में दुकानदारों और रेड़ी पटरी वालों को अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के तुगलकी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया जाने को स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी ऐसे तुगलकी फरमान संविधान के अनुच्छेद 19 का उलंघन है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए देश में स्थित संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का काम किया है। श्री यादव ने कहा कि वर्षों से यह देश अपनी गंगा जमनी तहजीब के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। ऐसे में बीजेपी सरकार के द्वारा देश में नफरत फ़ैलाने की साजिश को देश की सवोच्च अदालत ने खारिज कर दिया और मजहबी एकता की व्यवस्था को कायम रखने पर अपनी सहमति जता दी।

उन्होंने कहा कि बकौल सुप्रीम कोर्ट

हम सभी को इस देश में तमाम धर्मों की आस्था और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए

शुद्धता के मद्देनजर कांवरियों को परोसे जाने वाले भोजन को प्रदर्शित करने की बात कही। जो की बिल्कुल तार्किक है। क्योंकि हम सभी को इस देश में तमाम धर्मों की आस्था और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए । इस बाबत उन्होंने यह भी कहा कि चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान। इस देश में ऐसा देखा गया है कि छठ पूजा से लेकर , कांवर यात्रा या फिर अन्य धार्मिक आयोजनों में जिस प्रकार से मुस्लिम भाइयों का सहयोग हिंदू भाइयों को प्राप्त होता रहा है , ठीक उसी प्रकार ईद, मुहर्रम या फिर रमजान इत्यादि आयोजनों में हिंदू भाइयों का भी सहयोग उन्हें प्राप्त होता रहा है और यह परंपरा यहां युगों से चलती आ रही है। लेकिन बीजेपी ने अपने वोट की राजनीति के लिए इसमें नफरत घोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दरअसल, इस बार के चुनाव में बीजेपी को उत्तरप्रदेश में भारी नुकसान हुआ और उन्हें उनके जीते हुए 73 सीटों के एवज में केवल 29 सीटें ही प्राप्त हुईं। लिहाजा, बीजेपी की सरकार अपनी तमाम खामियों को मसलन मंहगाई , बेरोजगारी और विधि व्यवस्था जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकना चाहती है। इसलिए इस तरह के विवादित मुद्दे को आगे कर रही है।

नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद अखिलेश का रिएक्शन– 'एक नयी 'नाम–पट्टिका' पर लिखा जाए : सौहार्दमेव जयते !

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर आने वाले होटलों पर उनके मालिकों के नाम की प्लेट लगाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सवोच्च अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले पर रोक लगा दी।

कोर्ट ने कहा– दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ खाने का प्रकार शाकाहारी या मांसाहारी स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपना रिएक्शन दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा– 'एक नयी 'नाम–पट्टिका' पर लिखा जाए : सौहार्दमेव जयते !

यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुए नेम प्लेट विवाद पर हाल में ही अखिलेश यादव ने एक्स कर कहा था– मुजफ्फरनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेलेवालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो पीठ थपथपाई है, उतने से ही जनता मानने वाली नहीं है।

ऐसे आदेश पूरी तरह से खारिज होने चाहिए। न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन प्रशासन नहीं करेगा।

बता दें कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई को अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाली सभी खाने की दुकानों पर उसके मालिक और संचालक का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया। साथ ही हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश जारी किए थे।

दलितों और महादलितों का उत्पीड़न रोके नीतीश सरकार : डॉ संजय

कांग्रेस सेवा दल ने किया राजभवन मार्च

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

बिहार में लगातार हो रहे दलितों और महादलितों पर अत्याचार के विरोध में और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड ने सोमवार को राजभवन तक मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व डॉ. संजय ने किया मार्च का उद्देश्य बिहार में फिर से 65% आरक्षण को बहाल करना, चौकीदार और दफादार की नियुक्ति को पूर्व की तरह बहाल करना था। इसके साथ ही, दलितों की आवाज को दबाने के विरोध और अग्निवीर एवं नीट घोटाले का पर्दाफाश करने की मांग भी उठाई गई। मार्च के दौरान डॉ. संजय ने कहा, दलितों की आवाज को दबाना बंद करो! अग्निवीर और नीट घोटाले का पर्दाफाश करो! हम लड़ेंगे और जीतेंगे! हम नहीं रुकेंगे! जनता की आवाज़ नहीं दबेगी। राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने मार्च को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भारी प्रदर्शन के बीच गिरफ्तारी का नाकाम प्रयास हुआ। पुलिस ने डॉ. संजय समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश की। इसके बावजूद, प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ० अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस मार्च को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की सराहना की और कहा कि हमारी यह लड़ाई न्याय और समानता के लिए है। हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे।बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान ने कहा कि बिहार की गूंगी–बहरी और भ्रष्ट सरकार को जगाने के लिये यह मार्च आयोजित किया गया था। हम इस राज्य में दलितों और महादलितों पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्य सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मॉर्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता शामिल थे।

65% आरक्षण को फिर से लागू करवाने तक जारी रहेगा आंदोलन : आदित्य पासवान

कांग्रेस सेवा दल ने किया राजभवन मार्च एक झलक...

दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं, शाकाहारी या मांसाहारी बताएं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

नईदिल्ली /लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट की फल–फूल और होटल–रेस्टोरेंट पर दुकानदार का नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। उन्हें बताना होगा कि भोजनालय में शाकाहारी व्यंजन परोसा जा रहा है या मांसाहारी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। साथ ही, उत्तराखंड में भी जारी इस प्रकार के आदेश पर रोक लगा दी गई है।

यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोशिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने टिप्पणी की कि मेरा भी अपना अनुभव है। केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था, दूसरा मुस्लिम का था। मैं मुस्लिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था, क्योंकि उसका मालिक दुबई से आया था। वह साफ–सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। जस्टिस भट्टी की इस टिपणी को काफी महत्वपूर्ण माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि यूपी सरकार की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है या फिर कोई बयान है। सीयू सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रशासन दुकानदारों पर दबाव डाल रहा है कि वह अपने नाम और मोबाइल नंबर को प्रदर्शित करें। कोई भी कानून पुलिस को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। पुलिस के पास केवल यह जांचने का अधिकार है कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। कर्मचारी या मालिक का नाम अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने केस इसको लागू किया है। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कर्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह व्यापारियों के लिए आर्थिक मौत के समान है।

तीन सरकारों को नोटिस, मांगा जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जारी नेम प्लेट से संबंधित आदेशों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। शुक्रवार तक इस नेम प्लेट विवाद मामले में जवाब पेश करने को कहा गया है। नेम प्लेट विवाद में 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद फाइनल फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों का नाम नहीं, केवल परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार बताने की जरूरत होगी। इस प्रकार, कोर्ट ने सरकार और प्रशासन की ओर से नेम प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है।

झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल रांची पहुंचेंगे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, ये है पूरा कार्यक्रम

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

रांची। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर कल यानी 23 जुलाई को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे को लेकर रांची पहुंचेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि मीर 23 जुलाई को अपराह्न 12:50 बजे सेवा विमान से रांची पहुंचेंगे। इस बाबत प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि गुलाम अहमद मीर एयरपोर्ट से सीधे रामगढ़ जाएंगे जहां रजरप्पा प्रोजेक्ट मनोरंजन गृह में 2.30 बजे से आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद चितरपुर में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेंगे। सोनाल शांति ने बताया कि गुलाम अहमद मीर 24 जुलाई को राजधानी रांची के प्रेस क्लब में 11:00 बजे से पिछड़ा वर्ग समुदाय के प्रबुद्धजनों एवं 1:00 बजे से अनुसूचित जाति के प्रबुद्धजनों से संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद अपराह्न 3:30 बजे से जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्षों की बैठक में भाग लेंगे। इसमें विधानसभावार सांगठनिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी और आवश्यकतानुसार निर्देश जारी किए जाएंगे। शांति ने बताया कि भाजपा द्वारा झारखंड में विद्वेष का जहर फैलाने की तैयारी की जा रही है। इसका जवाब देने के लिए गुलाम अहमद मीर के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में रणनीति को व्यापक धार दिया जाएगा। साथ ही मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

कांवड़ यात्रा : सुप्रीम कोर्ट ने दुकान पर नाम लिखने के यूपी, उत्तराखंड सरकार के आदेश पर रोक लगाई

आस मोहम्मद

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के मार्ग में खाद्य दुकान मालिकों और उनके कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के निर्देशों के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को रोक लगा दी.

द हिंदू के मुताबिक, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि दुकान मालिक यह प्रदर्शित कर सकते हैं कि उनके यहां किस तरह का भोजन परोसा जाता है, लेकिन उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों के नाम और जाति दुकान पर लिखने की जरूरत नहीं है.

इन आदेशों को अदालत में चुनौती देने वालीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने कोई औपचारिक आदेश पारित किया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे.

मोइत्रा की ओर से अदालत में प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों द्वारा पारित आदेश संविधान के विरुद्ध है.

शीर्ष अदालत ने कांवड़ मार्ग के रास्ते में आने वाले राज्यों को नोटिस जारी किया है. इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल हो सकते हैं. जिन राज्यों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, लेकिन वह यात्रा के रास्ते में आते हैं, उन्हें भी स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया गया है. मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार (26 जुलाई) को होगी.

यह आदेश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (एपीसीआर) द्वारा दायर याचिका और दो अन्य याचिकाओं झ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और शिक्षाविद अपूर्वानंद झा तथा स्तंभकार आकार पटेल द्वारा दायर याचिकाओं झ पर आया. एपीसीआर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने किया.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये निर्देश राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रभावित करते हैं, संविधान की प्रस्तावना में निहित आदर्शों और मूल्यों का उल्लंघन करते हैं तथा समानता, जातिगत भेदभाव न करने और जीवन की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सिंघवी ने अदालत में कहा, ₹ऐसा पहले कभी नहीं किया गया. इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है. कोई भी कानून पुलिस आयुक्तों को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता. ये निर्देश हर हाथगाड़ी, चाय की दुकान वालों के लिए हैंङ्घ कर्मचारियों और मालिकों के नाम देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता.' सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 मालिकों को अपने भोजनालयों का नाम उनके नाम से रखने का निर्देश नहीं देता है.

सिंघवी ने कहा, 'हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम कर्मचारी हैं. क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां जाकर नहीं खाऊंगा? क्योंकि भोजन को कहीं न कहीं वे (मुस्लिम कर्मचारी) छूते ही हैं?'

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस भट्टी ने केरल के दो होटलों के बारे में एक निजी किस्सा साझा किया, जिनमें से एक हिंदू द्वारा चलाया जाता है और दूसरा मुस्लिम द्वारा. जस्टिस भट्टी ने कहा कि वह अक्सर मुस्लिम के शाकाहारी होटल में जाते हैं क्योंकि वह व्यक्ति स्वच्छता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखता है.

ऐसी खबरें हैं कि इन निर्देशों के कारण कांवड़ यात्रा के मार्ग में स्थित दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की जबरन छंटनी की जा रही है जो आजीविका कमाने, व्यापार या व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.

इन निर्देशों के तहत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश था कि कावड़ियों को स्वच्छता के मानकों के अनुरूप और उनकी पसंद के अनुसार शाकाहारी भोजन परोसा जाए.

बहरहाल, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि ऐसे निर्देशों का प्रभाव कई राज्यों तक फैलता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है.

बता दें कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसे आदेश जारी किए थे कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर स्थित खान–पान की सामग्री बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपने–अपने प्रतिष्ठानों पर अपना और अपने कर्मचारियों के नामों का उल्लेख करना है. इसके पीछे तर्क दिया था कि इससे खाने–पीने को लेकर कांवड़ियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होगी.

इसके कुछ दिन बाद ही उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने भी समान आदेश जारी कर दिए.

ये दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित हैं. इन आदेशों का विरोध न सिर्फ विपक्षी दलों ने किया, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की केंद्र सरकार के सहयोगी दलों ने भी किया.

गुजरात के सुरेंद्र नगर में लो–ग्रेड कोयला मिलता है, यहां इसका अवैध खनन होता है

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

गुजरात के सुरेंद्र नगर में लो–ग्रेड कोयला मिलता है। यहां इसका अवैध खनन होता है।

गैस निकलने व जमीन दबने के कारण वहां अक्सर मजदूर मरते रहते हैं। मृतक के परिवार जब थाने में कम्प्लेन लिखवाने जाते हैं तो पुलिस कहती है कि पहला कम्प्लेन उनके खिलाफ होगा, क्योंकि वह अवैध काम कर रहा था। जो अवैध खुदाई करवाते हैं, वह काफी बड़े लोग होते हैं। वहां के स्थानिय लोगों का कहना है कि हर महीने 1.5 लाख रुपए का हफ्ता दिया जाता है ताकि यह काम कोई न रोके। जब हमने इन लोगों के बारे में पता किया, तो इसमें 4 लोग दोषी पाए गए, जिसमें BJP के नेता शामिल हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसपर जल्द ही कदम उठाए।

राज्य सभा में Shaktisinh Gohil जी

मैं सच्चे हिंदुओं और शिव भक्तों से आग्रह करती हूं कि इस सांप्रदायिक फैसले को नकार दें

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बहुत ही बेहतरीन संदेश देकर यूपी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे को आईना दिखाया है लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भी इसी तरह के सांप्रदायिक एजेंडे पर आगे बढ़ती दिख रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश का दुष्परिणाम यह निकला है कि ढाबों में काम करने वाले हिंदू और मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। मैं सच्चे हिंदुओं और शिव भक्तों से आग्रह करती हूं कि इस सांप्रदायिक फैसले को नकार दें। अगर सरकार को शुद्धता कितनी ही चिंता है तो कावड़ यात्रियों के लिए सरकारी लंगर की व्यवस्था की जाए। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और पूरी सरकार ने चुप्पी साथ कर मौन सहमति दी हुई है। आप सभी से निवेदन है कि भाईचारा और एकता बनाए रखें और मोहब्बत की दुकान चलने दें।

-श्रीमती अलका लांबा

उंचाहार–अमेठी रेल लाइन परियोजना अधर में लटकी

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

उंचाहार–अमेठी रेल लाइन परियोजना का शिलान्यास 26 नवंबर, 2013 को किया गया था। लेकिन यह परियोजना अभी भी रेलवे के काम की मंजूरी का इंतजार कर रही है। यह यूपी के तीन महत्वपूर्ण जिलों (अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली) को जोड़ने वाली परियोजना है। रेल मार्ग की लंबाई 66.17 किमी. है, जो 81 गांवों को जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट की उद्घफभी तैयार हो चुकी है। लेकिन दुख की बात है कि एक दशक से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी यह परियोजना अधर में लटकी हुई है। यह परियोजना रायबरेली, सलवन, प्रतापगढ़ और अमेठी के लोगों की जीवन रेखा है।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है।

संवाददाता । कांग्रेस दर्पण

यह सर्वविदित है कि पूरे मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है। ये सरकार का एजेंडा है और इस एजेंडे के तहत सरकार ने प्रशासन को दमनकारी रवैये के साथ काम करने की खुली छूट दे दी है। लहार में कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए हैं और अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा है जो यह एहसास कराता है कि मध्यप्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है।—जीतू पटवारी

जिसने बढ़ा दी सर्च इंजन की आंधी वो है हमारा भाई राहुल गांधी

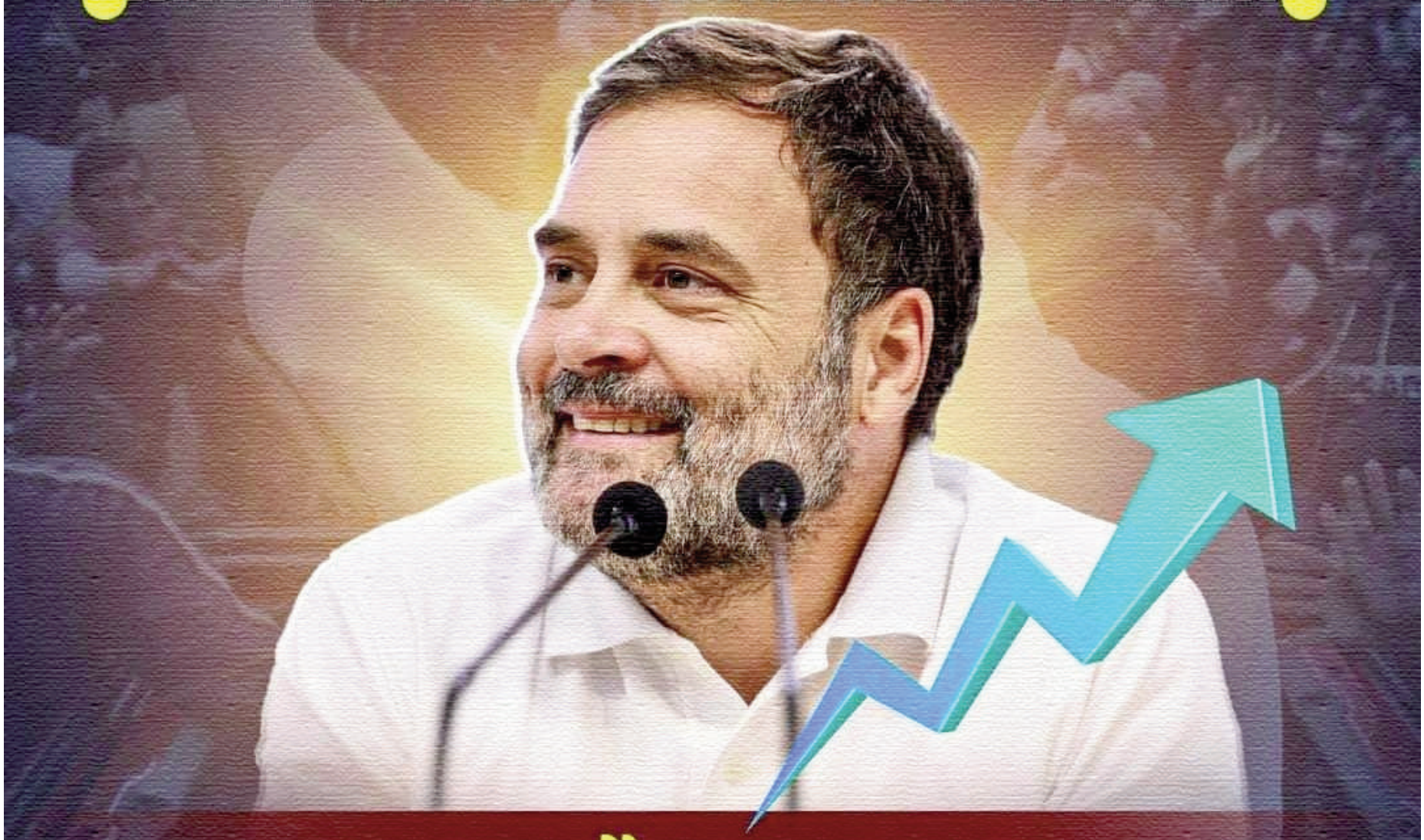

Google और Youtube पर सबसे ज्यादा सर्च किये जाने वाले नेता बने राहुल गांधी

राहुल नहीं रुकेगा

जलवा है भाई का जलवा